

भारत का राजपत्र
The Gazette of India



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 638]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 15, 2016/फाल्गुन 25, 1937

No. 638]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 15, 2016/PHALGUNA 25, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2016

का.आ. 1092(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 7 के साथ पठित धारा 6 की उप-धाराओं (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायमूर्ति डॉ सत्यवान सिंह गर्ब्याल, भकान सं. सी-1/71 बापा नगर, नई दिल्ली-110003, को दिनांक 13 जनवरी, 2016 से पांच वर्ष की अवधि या उनके द्वारा पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17 (10)/2015-पीएल/एनजीटी वाल्यूम. II]

अरूण कुमार मेहता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2016

S.O. 1092(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 6 read with Section 7 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby appoints Dr. Satyawan Singh Garbyal, H. No. C-1/71 Bapa Nagar, New Delhi-110003, as the Expert Member of the National Green Tribunal with effect from 13th January, 2016 for a period of five years or till he attains the age of sixty five years or till further orders, whichever is the earliest.

[F.No. 17(10)/2015-PL/NGT(Vol.II)]

ARUN KUMAR MEHTA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2016

का.आ. 1093(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 7 के साथ पठित धारा 6 की उप-धाराओं (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायमूर्ति श्री रघुवेंद्र सिंह राठौड़, राजस्थान उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश को दिनांक 16 जनवरी, 2016 से पांच वर्ष की अवधि या उनके द्वारा सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17 (10)/2015-पीएल/एनजीटी वाल्यूम.II]

अरुण कुमार मेहता, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2016

S.O. 1093(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 6 read with Section 7 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby appoints Shri Justice Raghuvendra Singh Rathore, former Judge of High Court of Rajasthan, as the Judicial Member of the National Green Tribunal with effect from 16th January, 2016 for a period of five years or till he attains the age of sixty seven years or till further orders, whichever is the earliest.

[F.No. 17(10)/2015-PL/NGT(Vol.II)]

ARUN KUMAR MEHTA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2016

का.आ. 1094(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 7 के साथ पठित धारा 6 की उप-धाराओं (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायमूर्ति श्री सोनम फिन्डो वांग्दी, सिक्किम उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश को दिनांक 22 जनवरी, 2016 से पांच वर्ष की अवधि या उनके द्वारा सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17 (10)/2015-पीएल/एनजीटी वाल्यूम.II]

अरुण कुमार मेहता, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2016

S.O. 1094(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 6 read with Section 7 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby appoints Shri Justice Sonam Phintso Wangdi, former Judge of Sikkim High Court, as the Judicial Member of the National Green Tribunal with effect from 22nd January, 2016 for a period of five years or till he attains the age of sixty seven years or till further orders, whichever is the earliest.

[F.No. 17(10)/2015-PL/NGT(Vol.II)]

ARUN KUMAR MEHTA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2016

का.आ. 1095(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 7 के साथ पठित धारा 6 की उप-धाराओं (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायमूर्ति डॉ. जवाबद रहीम, कर्नाटक उच्च न्यायालय के भूतपूर्व

न्यायाधीश को दिनांक 8 जनवरी, 2016 से पांच वर्ष की अवधि या उनके द्वारा सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17 (10)/2015-पीएल/एनजीटी वाल्यूम.II]

अरुण कुमार मेहता, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2016

S.O. 1095(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 6 read with Section 7 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby appoints Dr. Justice Jawad Rahim, former Judge of Karnataka High Court, as the Judicial Member of the National Green Tribunal with effect from 08th February, 2016 for a period of five years or till he attains the age of sixty seven years or till further orders, whichever is the earliest.

[F. No. 17(10)/2015-PL/NGT(Vol.II)]

ARUN KUMAR MEHTA, Jr. Secy.